[2022] 2 S.C.R

BHADAR RAM (D) THR. Lrs

Vrs

JASSA RAM & ORS.

JANAUARY 05, 2022

[M.R. SHAH AND A.S. BOPANNA, J.J.]

CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 5933 of 2021.

उच्च न्यायालय के 07.04.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से 1999 की डी.बी. सिविल विशेष अपील नं0 1398 में जोधपुर में राजस्थान न्यायपालिका।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - सुश्री सुरूचि मित्तल, अभिषेक गौतम।

प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता - सुश्री क्रिस्टी जैन, सुश्री प्रतिभा जैन।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था - एम.आर.शाह जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस होकर सिविल विशेष अपील सं0 1398/1999, जोधपुर में राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 07.04.2011 की आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी द्वारा यहां प्रस्तुत उक्त अपील को अनुमति दी है। मूल वादी, अपीलार्थी ने यहां मूल प्रतिवादी विचाराधीन वाद भूमि के खरीदार ने वर्तमान अपील को दायर किया है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील का तथ्य व आधार निम्नवत् है:-

2.1 विवाद भूमि गॉव धरमसिंहवाला, तहसील सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि एक चुनीलाल को, अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्ति थे और इसमें प्रतिवादी के पिता मूल वादी के रूप में आवंटित की गई थी। मूल प्रतिवादी के मामले के अनुसार, वर्ष 1972 में उक्त चुनिलाल ने एक पूरन सिंह से रू0 5000/- की राशि उधार ली और दस्तावेजों की आड़ में जाट उच्च जाति से संबंधित उक्त पूरन सिंह ने धोखाधड़ी से चुनिलाल को अपीलार्थी मूल प्रतिवादी भादर राम, जो पंजाब का निवासी था, के पक्ष में बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा।

2.2 उक्त चुनिलाल ने पूरन सिंह के खिलाफ निष्कासन का मुकदमा पूरन सिंह एवं भदर राम के विरूद्ध दायर किया एवं उनका कथन है कि - उन्हें मूल रूप से भूमि आवंटित की गयी थी और विक्रय विलेख दिनांक 21.06.1972 को तैयार किया गया था जो धारा 42 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम, 1955 और धारा 13 राजस्थान उपनिवेशिक अधिनियम 1954 का उल्लंघन हुआ है एवं उपरोक्त विक्रय विलेख शुन्य और अप्रभावित है। विद्वान न्यायालय उक्त वाद में आदेश दिनांक 13.10.1980 को पाया कि विवादित भूमि पूरन सिंह के कब्जे में थी जो अनुसूचित जाती का व्यक्ति नही था और उक्त बिक्री विलेख धारा 42 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम, 1955 और धारा 13 राजस्थान उपनिवेशक अधिनियम 1954 का उल्लंघन कर तैयार किया गया है। इसलिए पूरन सिंह भूमि से निष्कासन का उत्तरदायी है। प्रतिवादी का यह कथन है कि मूल वादी को जमीन का कब्जा डिग्री के अनुसार दिला दिया गया है। जमीन का दखल कब्जा पूरन सिंह के पास था एवं भदर राम के पास नही था। उपरोक्त विचारणीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश से पीड़ित एवं असंतुष्ट होकर अपीलार्थी, मूल प्रतिवादी ने राजस्व अपीलीय न्यायधीकरण के समक्ष

अपील दायर किया गया। राजस्व अपीलीय न्यायधीकरण ने अपील को खारीज कर दिया। अपीलार्थी मूल प्रतिवादी ने पुनः राजस्व बोर्ड के समक्ष अपील दायर किया जिसे दिनांक 25.04.1989 को स्वीकार किया एवं अपीलार्थी को धारा 13 राजस्थान उपनिवेशक अधिनियम, 1954 का लाभ जो की अपीलार्थी को चक्रवृद्धि शुल्क का लाभ दिया गया।

2.3 राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रतिवादी मूल वादी ने एक रिट दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिका। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। निर्णय और आदेश दिनांकित 15.09.1999 के विरूद्ध प्रतिवादी, इस वाद के मूल वादी ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर किया और विवादित निर्णय और आदेश के विरूद्ध, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को यह मानते हुए दरकिनार कर दिया है कि इसमें अपीलकर्ता मूल प्रतिवादी, पंजाब राज्य का निवासी और अनुसूचित जाति होने के नाते, वह अपने अनुसूचित भादर राम (डी) टीएचआर होने का राजस्थान राज्य में जाति का लाभ नही ले सकता था।

ऐसा अभिनिर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1994) 5 एस.सी.सी. 244 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया।

2.4 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी मूल प्रतिवादी ने विचाराधीन भूमि के खरीदार ने वर्तमान अपील को दायर किया।

3.0 अपीलार्थी मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है कि पूरे मामले में प्रतिवादी द्वारा स्थापित है कि मूल वादी अपने आप में राजस्थान उपनिवेशीकरण की धारा 13 के तहत आवश्यक अनुमति के बिना निष्पादित लेनदेन का संयोजन और नियमितीकरण, चक्रवृद्धि शुल्क जमा करने पर अधिनियम, 1954, जो संशोधन के बाद वर्तमान मामले में राजस्व बोर्ड द्वारा सही ढंग से किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, जैसा कि उपर प्रस्तुत किया गया है, प्रत्यर्थी मूल वादी के मामले का मुख्य जोर तब तक यह था कि लेन देन राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अनुपालन में नही था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्व बोर्ड के निर्णय के बाद ही, प्रतिवादी मूल वादी ने धारा 42 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 पर ध्यान क्रेंद्रित किया।

3.1 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 1983 के संशोधन के बाद धारा 13ए राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 में जोड़ा गया है जो बिना अनुमति के हस्तांतरण संबंधी निष्पादन को नियमतिकरण क्षतिपूर्ति शुल्क के साथ किया जा सकता है जैसा की राजस्व परिषद ने वर्तमान वाद में अधिनियम के संशोधन के बाद किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी-मूलवादी था जो हस्तांतरण के समय धारा 13 राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 का अनुपालन नही किया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व

परिषद के निर्णय के बाद प्रतिवादी-मूलवादी ने धारा 42 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 पर अपना ध्यान केन्द्रीत किया है।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी मूल प्रतिवादी पंजाब में रह रहा था या उसका घर है, यह उसे पंजाब का सामान्य निवासी नही बनाता है। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20(1) पर भरोसा जताया गया एवं यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आवासीय स्थिति निधारित करने से पहले उस पहलू की आगे की जांच की आवश्यकता है।

3.3 अपीलार्थी मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भी कार्रवाई समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया है कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति के मामले का उल्लेख करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य, महाराष्ट्र प्रमाण पत्र जारी करना है (उपरोक्त)।

3.4 जब यहां तक अनुसूचित जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति के मामले में निर्णय पर निर्भारता की बात है- महाराष्ट्र राज्य और अन्य (उपर्युक्त) में जातियों और अनूसचित जनजातियों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय केवल एक राज्य के संबंध में एक व्यक्ति की स्थिति पर चर्चा करता है, जो पलायन कर चुका है और कहीं भी उस स्थिति पर चर्चा नही की है जहां एक व्यक्ति दूसरे राज्य में प्रवास करके अपने मूल राज्य में लौट रहा था और उस समय अनुसूचित जाति के दर्जे का मुददा उठाया जा रहा था और वर्तमान मामले की तरह आंदोलन किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उक्त निर्णय भी केवल

रोजगार/शिक्षा के संबंध में अनुसूचित जाति के दर्जे पर चर्चा करता है या ऐसी संपत्ति की खरीद या बिक्री जिस पर ध्यान नही दिया गया है।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि संपत्ति की खरीद अपने स्वयं के कोष से होती है, यानी दूसरे से वैध विचार के लिए और आवश्यक रूप से राज्य आरक्षण या अन्य सीमा की आवश्यकता नही है और अनिवार्य रूप से खुले बाजार में निर्धारित एक स्वतंत्र अधिनियम है, जो केवल कानून द्वारा निष्पादन के अपने तरीके की सीमा तक विनियमित है और इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी मूल प्रतिवादी को इसलिए अपनी मेहनत की कमाई पैसा से खरीदी गई भूमि के लाभों से वंचित नही किया जाएगा।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी-मूल वादी पहली बार 5 साल के बाद 1977 में 1972 की बिक्री पर सवाल उठाने की अनुमति नही दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तथ्य स्वयं प्रतिवादी की दुर्भावना को दर्शाता है, मूल वादी और उसके बाद अपीलार्थी मूल प्रतिवादी को उसकी सही भूमि से वंचित करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है कि प्राप्त प्रतिफल को प्रतिवादी मूल वादी और अपीलार्थी मूल प्रतिवादी द्वारा धारा 13 ए के संदर्भ में चक्रवृद्धि शुल्क जमा करते हुए पूरे समय बरकरार रखा जाय। राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 और इसलिए, उसे अपनी भूमि के लाभों से वंचित नही किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रस्तुतियां करते हुए, यह प्रार्थना की गई है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए।

4. वर्तमान अपील को मिस क्रिस्टी जैन ने जोरदार तरीके से प्रतिरोध दायर किया -

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति, जो पंजाब में अनुसूचित जाति का सदस्य है, जहां वह रह रहा है, लाभ का दावा कर सकता है। राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 42 के संबंध में राजस्थान में अनुसूचित जाति के मामले, रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य मामलो में इस माननीय न्यायालय के दिनांक 01.11.2018 के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए है। सिविल अपील सं0 8425/2013 में यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो संविधान पीठ के फैसलों पर विचार करने के बाद, मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, गेथ जी. एस. के मामले में मेडिकल कॉलेज और अन्य (1990) 3 एस.सी.सी. 130 और राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्य समिति महाराष्ट्र और एक अन्य (उपर) यह माना जाता है कि केवल इसलिए कि प्रवासी राज्य में, एक ही जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है, एक प्रवासी को प्रवासी राज्य की अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता नही दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और उपरोक्त निर्णयों को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपील को सही ढंग से स्वीकार कर लिया है और सही निर्णय दिया है कि अपीलार्थी मूल प्रतिवादी, पंजाब राज्य का निवासी होने के नाते और पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लाभ का दावा नही कर सकता है, और इसलिए, प्रतिवादी वादी और अपीलार्थी मूल प्रतिवादी के बीच लेनदेन राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 प्रभावित होता है।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मुददा भी बीर सिंह बनाम दिल्ली जल के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय के दायरे में आता है। बोर्ड (2018) 10 एस.सी.सी.

312 (पैराग्राफ 34) के मामले में यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में मुकदमा प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया था। मूल वादी निष्कासन के लिए और बिक्री धोषित करने के लिए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 और राजस्थान की धारा 13 उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 का उल्लंघन करते हुए अमान्य होने के रूप में 21.06.1972 दिनांकित विलेख यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भूमि उसे पूरन सिंह ने एक गैर अनुसूचित जाति द्वारा भादर राम के नाम पर खरीदा था, जब प्रतिवादी मूल वादी ने उसके चिकित्सा उपचार के लिए उससे कुछ उधार लिया था यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इसे राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 13 के साथ साथ धारा 42 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का उल्लंघन कहा जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी अपीलार्थी मूल प्रतिवादी पंजाब का निवासी है न कि राजस्थान का यह है। प्रस्तुत किया कि बैनामा में, उनका पता गांव बुरजवाला तहसील, फाजिल्का, जिला फिरोजपुर, पंजाब और वह पंजाब के निवासी के रूप में दिखाया गया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्परिवर्तन अभिलेख में भी उनका पता पंजाब का दिखाया गया है। जिस में उसने प्रस्तुत किया है कि वह पंजाब का निवासी था। यह उनके द्वारा सत्यापित मामला नही था कि वे वास्तव मंे एक निवासी थे राजस्थान से आए थे और पंजाब चले गए थे।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता मूल प्रतिवादी केवल इस आधार पर राजस्थान का निवासी होने का दावा करता है कि उसके दादा का राजस्थान में भूमि है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्थान में भूमि रखने में वास्तव में यह निष्कर्ष नही निकलता है कि व्यक्ति उस राज्य का है। राजस्थान में मूल प्रतिवादी के जन्म का कोई सबूत नही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए लेनदेन धारा 42 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम, 1955 की द्वारा प्रभावित है।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी अपीलकर्ता भदर राम वास्तव में पूरन सिंह के लिए बेनामी धारक थे जो राजस्थान में अनुसूचित जाति के सदस्य नही थे। यह जमीन पूरन सिंह के कबजे में पाई गई। विद्वान विचारणिय न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि दखल कब्जा पूरन सिंह का है। विद्वान विचारणिय न्यायालय ने यह भी कहा कि कब्जा पूरन सिंह के पास पाया गया है जब अधिकारी विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी मूल वादी को कब्जा देने गए थे। प्रस्तुत किया कि इसलिए बिक्री विलेख धारा 13 राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 का उल्लंघन है।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी राजस्व बोर्ड अपीलार्थी मूल प्रतिवादी को धारा 13 ए के तहत चक्रवृद्धि का लाभ नही दे सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भादर राम (डी) टीएचआर का लाभ, चक्रवृद्धि केवल तभी दी जा सकती है जब हस्तांतरणकर्ता के कब्जे में हो। वर्तमान मामले में, हस्तांतरी अपीलार्थी के कब्जे में नही था, और इसलिए, परिवर्धन का लाभ अपीलार्थी मूल प्रतिवादी को नही दिया जा सकता था। चक्रवृद्धि की अनुमति केवल राज्य सरकार

द्वारा दी जा सकती है न कि राजस्व बोर्ड द्वारा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी धारा 13 ए के तहत प्रावधानों का उपयोग 13.06.1987 तक किया जा सकता था, जबकि बोर्ड ने इसका प्रयोग 25.04.1989 पर किया है, जो समय सीमा से परे है।

उपरोक्त प्रस्तुतियों करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित विद्वान वकील को सुना। इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता मूल प्रतिवादी के पक्ष में भूमि लेनदेन अवैध था और राजस्थान किरायेदारी अधिनियम 1955 की धारा 42 और राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 13 का उल्लंघन था, जो पंजाब राज्य की अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति था ?

6. यह विवाद में नही है कि विचाराधीन भूमि राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। विचाराधीन भूमि चुनिलाल नाम व्यक्ति को आवंटित की गई थी। जाति और दस्तावेजों की आड़ में उक्त पूरन सिंह ने धोखाधड़ी से चुनिलाल को अपीलार्थी पंजाब के निवासी भादर राम के पक्ष में एक बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। इस प्रकार प्रतिवादी मूल वादी, वास्तव में बिक्री उक्त के पक्ष में की थी। पूरन सिंह हालांकि उक्त पूरन सिंह ने अपीलार्थी भादर राम, जो अनुसूचित जाति (पंजाब में अनुसूचित जाति) से संबंधित व्यक्ति है,के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित कराया। इसके अनुसार प्रतिवादी मूल वादी, पूरे समय,भूमि उक्त पूरन सिंह के कब्जे में थी, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति नही था और विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के

बाद भी जब कब्जा प्रतिवादी मूल वादी को सौंप दिया गया था, तो कब्जा पूरन सिंह के पास पाया गया था न कि अपीलकर्ता मूल प्रतिवादी के पास और इसलिए, यह प्रतिवादी मूल वादी की ओर से मामला था कि भादर के पक्ष में बिक्री लेनदेन राम ने राजेस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 13 का उल्लंघन किया था। यह प्रतिवादी की ओर से भी मामला था मूल वादी कि बिक्री लेनदेन राजस्थान (2022) 2 एस.सी.आर. की धारा 42 का भी उल्लंघन था। अनुसूचित जाति के लिए, उनके पक्ष में बिक्री विलेख को राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन नही कहा जा सकता है। यह भी था अपीलार्थी की ओर से मामला मूल प्रतिवादी कि वह राजस्थान चला गया है और क्योंकि उसके दादा और पिता ने इसे खरीदा था। राजस्थान राज्य में कृषि भूमि और इसलिए उन्हें राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी कहा जा सकता है।

6.1 क्या इसमें अपीलकर्ता मूल प्रतिवादी राजस्थान राज्य में स्थित विचाराधीन भूमि का खरीदार, राजस्थान राज्य का एक सामान्य निवासी कहा जा सकता है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैनामा में उसका पता गांव बुरजवाला, तहसील, फाजिल्का, जिला फिरोजपुर, पंजाब के रूप में दिखाया गया है। उत्परिवर्तन अभिलेख में भी उनका पता पंजाब का दिखाया गया है। जिस में उसने स्वीकार किया है कि पंजाब का निवासी था। हालांकि अपीलार्थी के अनुसार मूल वादी, क्योंकि उसके दादा और पिता ने राज्य में भूमि खरीदी थी। राजस्थान, उन्हें राजस्थान राज्य का एक सामान्य निवासी कहा जा सकता है। उपरोक्त को स्वीकार नही किया जा सकता है। केवल इसलिए कि उनके दादा और पिता ने राजस्थान राज्य में कृषि भूमि खरीदी थी, अपीलार्थी को राजस्थान का सामान्य निवासी नही कहा जा सकता है।

'सामान्य रूप से निवासी' को इसके तहत परिभाषित किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950। लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1950 की धारा 20(1) के अनुसार, 'सामान्य रूप से निवासी' का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल इस आधार पर सामान्य रूप से निवासी नही माना जाएगा कि वह उसमें रहने वाले घर का मालिक है या उसके कब्जे में है। उपर उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रख्ते हुए, यह नही कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता मूलप्रतिवादी राजस्थान राज्य का एक सामान्य/स्थायी निवासी है।

7. अब क्या अपीलार्थी मूल प्रतिवादी के पक्ष में बिक्री लेनदेन को धारा 42 का उल्लंघन कहा जा सकता है। राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के अनुसार, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में बिक्री, उपहार या वसीयत पर प्रतिबंध है। व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। इस तरह के प्रावधान के उद्देश्य और उर्ददेश्य को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि उक्त प्रावधान भादर राम (डी) टीएचआर है। बहुत राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति का एक सदस्य चुने वर्तमान मामले में राजस्थान राज्य का विस्तार होता है। पंजाब राज्य में एक विवादित जाति होने के नाते क्या अपीलार्थी मूल प्रतिवादी के बिक्री लेनदेन को राजस्थान किरायेदारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत ए.आर. से बचाया जा सकता था, अब सुसंगत नही है।

ग्राफ 10 में मरी चंद्र शेखर राव (उपरोक्त) के मामले में इसे नीचे देखा और माना गया है हॉलांकि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक आदमी नही करता है। किसी बेहतर या अधिक स्थान पर प्रवास करके अपनी जाति से संबंधित होना बंद कर दें सामाजिक रूप से उन्नत क्षेत्र में खर्च किया जाता है फिर अवरोध और बाधाऐं सामाजिक रूप से वंचित समुदाय से संबंधित होने से पीड़ित जारी न रखें और एक पुरूष या एक महिला या एक की प्राकृतिक प्रतिभा लड़का या लड़की को फलने फुलने की पूरी गुंजाइश मिलती है। लेकिन ये समस्याऐं है। सामाजिक समायोजन अर्थात किस हद तक सुरक्षा दी जानी है। सामाजिक रूप से वंचित समुदाय का कुछ वर्ग और कैसे दूसरों के साथ बराबरी करने के लिए लंबा समय निकलाना एक नाजुक सामाजिक बात है।समायोजन इन्हें मोजेक में इनता संतुलित होना चाहिए देश की अखंडता जो किसी भी वर्ग या समुदाय को पैदा नही करनी चाहिए। अन्य समुदाय या उसके हिस्से को नुकसान या असंतोष समुदाय या अनुभाग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। देश के किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए जब तक और जिस हद तक वे हकदार है तब तक संरक्षण दूसरों के बराबर बनें। लेकिन समान रूप से जो दूसरे के पास जाते है क्षेत्रों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वंचितों के लिए रास्ता बनाऐं और समुदाय के उस हिस्से के विकलांग जो पीड़ित है उन क्षेत्रों में अक्षमताऐं। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कहना है कि आंध्रप्रदेश के लिए आवश्यक है अन्य समुदायों के बीच संतुलित संरक्षण। लेकिन बराबर महारष्ट्र के बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कहना है कि तत्काल मामले में, राज्य में सुरक्षा की आवश्यकता है।

यह समस्या का मूल दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर कोई इसे सहन करता है बुनियादी दृष्टिकोध को ध्यान में रखते हुए फिर विवाद का निर्धारण तत्काल मामले में मुश्किल नही होता है। इस प्रकार धारण करते समय, उपरोक्त निर्णय में यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में दलित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 1 नुकसान उठाना पड़ा और उनके पास विकास की सुविधाएं नही थी और (2022) एस.सी.आर. विकास, और इसलिए, उन्हें उन क्षेत्रों में समान बनाने के लिए जहां वे इस तरह से पीड़ित है और अविकसित स्थिति में है, उनके पक्ष में आरक्षण या संरक्षण है ताकि वे प्रतिस्पर्धा कर सकें।समुदाय के अधिक लाभप्रद या विकसित वर्गो के साथ समान शर्तों पर, एक विशेष जाति जिसे किसी विशेष राज्य में अधिक नुकसान हुआ है, उसे उनके पक्ष में आरक्षण या संरक्षण दिया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि किसी राज्य की सामाजिक स्थिति राज्य से राज्य में भिन्न होती है और पूरे देश के लिए किसी भी जाति या किसी भी जनजाति को अनुसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति के रूप में सामान्यीकृत करना उचित नही होगा।

7.1 राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र पर जारी करने पर कर्रवाई समिति के मामले में महाराष्ट्र और एक अन्य (उपर) मारी चंद्र शेखर राव (उपर) के मामले में इस न्यायालय के फेसले पर विचार करने के बाद सवाल यह उठा कि क्या राज्य 'क' के संबंध में संविधान के उद्देश्य से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने के लिए निर्दिष्ट जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति राज्य 'ख' में प्रवास करता है, जहां एक ही नाम के साथ कोई जाति या जनजाति संविधान के उददेश्यों के लिए उस राज्य 'ख' के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने के लिए निर्दिष्ट की गई है, क्या वह व्यक्ति

अनुसूचित जाति और/या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने का हकदार होगा। राज्य बी के संबंध में यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई व्यक्ति अपने मूल राज्य के संबंध में जिसमें वह स्थायी है या सामान्य रूप से निवासी को रोजगार के उददेश्य से उस राज्य मंे प्रवास करने पर किसी अन्य राज्य के संबंध में ऐसा माना जा सकता है । शिक्षा आदि। पैराग्राम नं0 3 और 16 में इसे निम्नानुसार देखा और माना गया है:-

''3, अनुच्छेद 341 और 342 के खंड (1) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति की शक्ति उन जातियों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने तक सीमित है जो संविधान के प्रयोजनों के लिए, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, अनुसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति मानी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के खंड (1) के तहत एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद, संसद कानून द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जाति या जनजाति को शामिल या बाहर कर सकती है, लेकिन उस समिति उददेश्य के लिए छोड़कर खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाएगा। बाद की अधिसूचना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जातियों या जनजातियों को किसी दिए गए राज्य या भारद राम (डी) टीएचआर के संबंध में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एक दी गई जाति या जनजाति उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हो सकती है जिसके लिए इसे निर्दिष्ट किया गया है। ये वे प्रासंगिक प्रावधान है जिनके साथ हम या याचिता में की गई शिकायत पर विचार करते समय चिंतित होंगे।

''16. हम यह भी जोड़ सकते है कि किसी दिए गए राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल तरने के लिए किसी विशेष जाति या जनजाति या वर्ग को निर्दिष्ट करने पर विचार करना निर्भर करेगा। यह भी पूरी तरह से अलग हो। इसलिए, केवल इसलिए कि राज्य 'क' में किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नही है कि यदि किसी अन्य राज्य में समान नामकरण वाली कोई अन्य जाति है, तो पूर्व से संबंधित व्यक्ति उन अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों का हकदार होगा जो बाद के राज्य की अनुसूचित जाति के सदस्य को ''निम्नलिखित उददेश्यों के लिए'' स्वीकार्य होंगे। यह सविधान यह एक ऐसा पहलू है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और जो संविधान निर्माताओं के दिमाग में था जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की भाषा के चयन से स्पष्ट है। यही कारण है कि श्री जयपाल सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में डॉ0 अम्बेडकर ने निम्नलिखित उत्तर दिया -

'' उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछा और वह यह था। मान लीजिए कि किसी आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य पलायन करता है भारत के राज्य क्षेत्र का दूसरा भाग, जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र दोनों से बाहर है, क्या वह स्थानीय सरकार से दावा कर पाएगा। जिसके अधिकार क्षेत्र में वह वही विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा होगा जो वह अनुसूचित क्षेत्र के भीतर या जनजातीय क्षेत्र के भीतर रहने पर पाने का हकदार होगा। मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। यदि उस मामले को उन क्षेत्रों में उठाया जाता है जहां इस तरह के मामले पर निर्णय होगा तो हम निश्चित रूप से इस संविधान के किसी खंड के रूप में इस प्रश्न का कुछ उत्तर देने मे सक्षम होंगे।

लेकिन जहां तक वर्तमान संविधान का संबंध है, अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य जो अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र से बाहर जाता है, निश्चित रूप से उन विशेषाधिकारों को अपने साथ ले जाने का हकदार नही होगा जो उसे अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में रहने के दौरान प्राप्त होता है। जहां तक मैं देख सकता हूं आदिवासी क्षेत्रों या अनूसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाले प्रावधानों को लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा, उन क्षेत्रों के अलावा जो इसके दायरे में आते है।

उन्हें।

इस कथन पर भरोसा करते हुए संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता इस आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का हकदार नही था कि वह अपने राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित था।

8, इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति के मामले में महाराष्ट्र और अन्य (उपर) इस वाद में भी लागू होगा। अपीलार्थी मूल प्रतिवादी के द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त निर्णय इस वाद के तथ्यों के अनुसार लागू नही होता है क्योंकि न्यायालय ने उस केस में नियुक्ति और शिक्षा से संबंधित वाद बिंदु था जबकि वर्तमान वाद में मूल प्रतिवादी पर यह निर्णय लागू नही होगा जैसा किं जनजातियों और अन्य (उपर्युक्त) केवल रोजगार, शिक्षा या इसी तरह के संबंध में विवाद था जबकि वर्तमान वाद में राजस्थान राज्य में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की बिकी और खरीद व संपत्ति की खरीद और बिक्री

के संबंध मंे है जिसे स्वीकार नही किया जा सकता है। यह न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति के मामले में महाराष्ट्र और अन्य (उपर) दिये गये तर्क अनुच्छेद 341 के वाक्यांश एक और 342 भारतीय संविधान का व्याख्या के अनुसार है। हमें कोई कारण प्रतीत नही होता है कि महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति के मामले में महाराष्ट्र और अन्य (उपर) भूमि की खरीद बिक्री जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर लागू नही होता है जबकि मूल भूमि मालिक चुनीलाल को अनुसूचित जाति भूमिहीन व्यक्ति के रूप में आवंटित की गई थी।

9. इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि रंजना कुमारी (उपरोक्त) के मामले में बाद के निर्णय में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस न्यायालय के पास इसी मुददे पर विचार का अवसर था। इस न्यायालय के समक्ष अपीलाथी वाल्मीकि जाति (भादर राम डी) टी.एच.आर. की अनुसूचित जाति से संबंधित था।

पंजाब राज्य, जिसने उत्तराखंड की वाल्मीकि जाति के एक व्यक्ति से शादी की, उस राज्य में चले गए। यह पाया गया कि उततराखंड राज्य में भी राष्ट्रपति के आदेश 'वाल्मीकि' को अधिसूचित अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई थी। यहां तक कि उत्तराखंड राज्य ने भी अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र जारी किया। हालांकि राज्य उत्तराखंड ने इस लाभ से इनकार कर दिया, जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित अनूसूचित जाति के लिए उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद अपीलार्थी उच्च न्यायालय का रूख किया। उच्च न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया

उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था। अपील को खारिज करते समय, पैराग्राफ 4 में यह निम्नानुसार देखा गया है।

''4, मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जी. एस. मामले में इस न्यायालय की दो संविधान पीठ के निर्णय के मामला मेडिकल कॉलेज और अन्य और जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति को महाराष्ट्र और अन्नय बनाम भारत संघ और एएनआर। उन्होंने यह विचार रखा है कि केवल इसलिए कि प्रवासी राज्य में एक ही जाति को अनुसूचित जाति के रूप मे मान्यता दी गई है, प्रवासी को प्रवासी राज्य की अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। उत्तराखंड राज्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करना, जैसा कि वर्तमान मामले में है, मर्री चंद्र शेखर राव (उपर) और एक्शन कमेटी (उपर) में संविधान पीठ के फैसलों की कठोरता को कम नही कर सकते।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलकता मूल प्रतिवादी पंजाब राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति का है और सामान्य रूप से एक प्रतिवादी है और पंजाब राज्य का स्थायी निवासी राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति से संबंधित भूमि की खरीद के उददेश्य से राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति के लाभ का दावा नही कर सकता है, जो मूल आवंटी को अनुसूचित जाति भूमिहीन व्यक्ति के रूप में दी गई थी और इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारत किया गया है

अपीलकर्ता मूल प्रतिवादी के पक्ष में बिक्री लेनदेन स्पष्ट उल्लंघन और / या राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन था।

11. अन्यथा भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी मूल प्रतिवादी के पक्ष में बिक्री लेनदेन को राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 13 का उल्लंघन कहा जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राजस्व बोर्ड ने राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनिय, 1954 की धारा 13 ए के प्रावधानों का लाभ अपीलार्थी मूल प्रतिवादी और बोर्ड (2022) 2 एस.सी.आर. के पक्ष में दिया।

अपीलार्थी मूल प्रतिवादी को चक्रवृद्धि शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी और लेनदेन को नियमित किया। हालांकि यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जब राजस्व बोर्ड ने धारा 13 ए (2) के तहत चक्रवृद्धि का लाभ दिया तो अपीलार्थी मूल प्रतिवादी को उसके और पूरन सिंह के खिलाफ पहले ही निष्कासित करने का आदेश पारित कर दिया गया था और कब्जा पहले ही प्रतिवादी को सौंप दिया गया था। पूरन सिंह से मूलवादी जिसे 30.12.1980 पर भूमि के वास्तविक भौतिक कब्जे में पाया गया था। राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 13 (ए) (2) केवल उस मामले में लागू होगी जहां निष्कासन का आदेश पारित किया गया है। वास्तव में हस्तांतरित भूमि से निष्कासित नही किया गया है उसमें मामले को देखते हुए, राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 13 (ए) (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्व बोर्ड द्वारा अपीलार्थी मूल प्रतिवादी और / या यहां तक कि पूरन सिंह के पक्ष में चक्रवृद्धि का कोई आदेश पारित नही किया जा सकता था और इसलिए राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश भी, जिसकी पुष्टि विद्वान एकल न्यायाधिश द्वारा चक्रवृद्धि की अनुमति देने से की गई थी, राजस्थान की धारा 13 ए (2) के विपरीत था।

12. उपरोक्त तथ्यों एवं विषयों को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया है कि अपीलार्थी मूल प्रतिवादी के पक्ष में भूमि हस्तांतरण राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 13 और राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन हुआ है, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा शून्य माना गया है। हम पूरी तरह से डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए फैसले से पूरी तरह से सहमत है एवं इन परिस्थितियों में वर्तमान अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। तदनुसार अपील को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागत के बारे में कोई आदेश नही होगा।

याचिका खारीज की जाती है।

बिभूति भूषण बोस

Arjun Saw

(C.J.M. Godda)